धारा-129. किसी सहकारी समिति को भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने का निबन्धक या अधिकार- निबन्धक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति की ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अधीन तथा ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा। तदुपरान्त उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित सहकारी भूमि विकास बैंकों से सम्बद्ध विधि के उपबन्ध भी ऐसी सहकारी समिति पर प्रवत्त होगे।